प्रेस नोट **11/02/2025**

फ्रॉडर द्वारा वादी को डरा धमकाकर यूपीआई के माध्यम से मंगवाया गया कुल धनराशि 100700 रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए फ्रॉडर द्वारा वादी को डरा धमकाकर यूपीआई के माध्यम से मंगवाया गया, पीडित शिवम यादव पुत्र नरसिंह यादव निवासी हेमई थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कुल धनराशि 100700 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट, क0आ0 सुनील कुमार, म0आ0 प्रज्ञा शुक्ला, का0 अमित मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व ₹30,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो -1 जनपद मऊ द्वारा दिनांक 11-02-2025 को मु0अ0सं0 844/2016 के धारा 354घ,323,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त परविन्दर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी तिलसवॉ थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास की सजा एवं ₹30,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

02 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 10/11.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा बंधा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 373/24 धारा 87, 137(2) बीएनएस व धारा 17/18 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुकत मो0 युसुफ पुत्र वकील अहमद निवासी बरइपुर थाना मुहम्मदाबाद व थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा जयसिंहपुर मुर्गी फार्म के पास से मु0अ0सं0 60/25 धारा 140(2)310(2),351(3)

बीएनएस में वांछित अभियुक्त संतोष चौहान पुत्र गुलाबचन्द्र चौहान निवासी अरदौना थाना हलधरपुर जनपद मऊ तथा थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त टेकई पुत्र मन्नर यादव निवासी कमला तिवारीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।